रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 15 जून, 2013 ई० (ज्येष्ठ 25, 1935 शक संवत्)

Scanned by CamScanner

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, लखीमपुर खीरी (उ0 प्र0)

7 जून, 2013 ई0

सं0 164/ओ0एस0/एम0बी0एल0/2012-13–शासनादेश संख्या 135/9-9-9-11-190 द्वि0स0वि0आ0/04, नगर विकास अनुभाग-9, दिनांक 18 मार्च, 2011 के द्वारा प्राप्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1) के अन्तर्गत संशोधित स्वतः कर निर्धारण व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सम्पत्ति पर स्वतः कर निर्धारण नियमावली, 2011 पर नगरपालिका परिषद, लखीमपुर ने अपने बोर्ड प्रस्ताव संख्या-3/10, दिनांक 09 सितम्बर, 2011 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की है। अतः इस नियमावली को धारा 131(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचनार्थ/आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु 25 मई, 2012 को दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान बरेली संस्करण में प्रकाशित कराया गया। एक माह की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक प्रस्ताव संख्या 04, दिनांक 02 जनवरी, 2013 के क्रम में परीक्षण पश्चात् प्रस्तावित/प्रकाशित स्वतः कर निर्धारण को अन्तिम किया गया है। नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी–

नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत सम्पत्ति पर स्वतः का निर्धारण नियमावली, 2011 निम्न प्रकार है

सम्पत्ति पर स्वतः कर निर्धारण नियमावली

1–"नगरपालिका परिषद" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, लखीमपुर से है ,

2–"अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, लखीमपुर के अधिशासी अधिकारी से है ,

3–"प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, लखीमपुर के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है ,

4–"प्रशासक/बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, लखीमपुर के प्रशासक/निर्वाचित बोर्ड से है ;

5–"अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है ;

6–"भूमि, भवन" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, लखीमपुर की सीमा में स्थित भूमि, भवन से है ;

7–यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका परिषद, लखीमपुर की सीमा में भवन के स्वामी/अध्यासी है तो वह भूमि/भवन के सम्पत्ति कर का निर्धारण स्वतः कर लें एवं निर्धारित तिथि तक फार्म क व ख सम्पत्ति कर अवश्य जमा कर दें।

8–फार्म का प्रारूप निम्नवत् है–

नगरपालिका परिषद, लखीमपुर

प्रपत्र 'क'

सम्पत्ति कर-स्वतः कर निर्धारण प्रपत्र

क–(1)–स्वामी/अध्यासी का नाम ....

(2)–स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम ....

(3)–भवन/मकान/भूखण्ड संख्या ....

(4)–भवन/भू-खण्ड की अवस्थित का पता ....

(5)–स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता ....

(6)–स्वामी/अध्यासी का स्थायी/पता ....

ख–उपर्युक्त भवन का निर्माण सम्बंधी ब्यौरा–

(1) समस्त कमरों एवं आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) ....

(2) समस्त बालकनी, कारिडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) ....

(3) समस्त गैरेज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) ....

Scanned by CamScanner

टिप्पणी–स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग–भवन का कारपेट एरिया–

ख– (1) + 1/2ख (2) + 1/4ख (3)

घ–(1) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है(वर्ग फुट में)..

(2) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)..

ङ–(क) भवन अवस्थित है–

[1] 1 फुट से 10 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[2] 10 फुट से अधिक 18 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[3] 18 फुट से अधिक 30 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[4] 30 फुट से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ख)–भवन के निर्माण की प्रकृति–

[1] पक्का भवन, आर०सी०सी० छत । ☐

[2] अन्य पक्का भवन आर०बी० छत। ☐

[3] कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (1) और (2) में आच्छादित नहीं है। ☐

(ग)–भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है–.

[1] 1 फुट से 10 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[2] 10 फुट से अधिक 18 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[3] 18 फुट से अधिक 30 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[4] 30 फुट से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

टिप्पणी–कृपया उपर्युक्त (1), (2) या (3) जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

च–आवेदक भवन या भूमि का स्वामी/किरायेदार/अध्यासी है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें। स्वामी और किरायेदार दोनों रहते हों तो उसका उल्लेख करें।

टिप्पणी–यदि वह 1 वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह 1 वर्ष की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा।

छ–भवन के निर्माण का वर्ष ....

ज–(1) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, लखीमपुर द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपये .... प्रति वर्ग फुट।

(2) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद लखीमपुर द्वारा भूमि के लिये निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो रुपये .... प्रति वर्ग फुट।

झ–(1) भवन का वार्षिक मूल्य = 12 × अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, लखीमपुर द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम दर × भवन का कारपेट एरिया = 12 × ज (1) × ग (2) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 × अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, लखीमपुर द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर × भूमि का क्षेत्रफल = 12 × ज (2) × घ (2)

Scanned by CamScanner

(1) स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का मूल्य, छूट देने के पश्चात्।

(2) किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य वृद्धि करने के पश्चात्।

(3) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए भवन का वार्षिक मूल्य वृद्धि करने के पश्चात्।

ट–(1) भवन का सामान्य कर अवधारित वार्षिक मूल्य × सामान्य कर दर /100

(2) भवन का जल कर यथा अवधारित वार्षिक मूल्य × की जलकर दर/100

ठ–भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = झ (2) में तथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य × सामान्य कर दर /100

ड–नगरपालिका परिषद् में कर जमा करने के लिए निर्धारित समयावधि:– .... वित्तीय वर्ष के माह अगस्त तक 5 प्रतिशत तथा माह फरवरी तक 2.50 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी (यह छूट केवल चालू मांग पर ही देय होगी बकाया मांग पर नहीं देय होगी)। वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 1 मार्च से 31 मार्च तक जमा करने पर कोई छूट देय नहीं होगी। करों का समय से भुगतान न किये जाने की दशा में 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से अधिभार देय होगा।

ढ–जमा किये गये कर का विवरण–

क्र0सं0	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6
1	गृहकर				
2	जलकर				

सत्यापन–मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये ब्यौरे जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण है।

हस्ताक्षर ....

स्थायी पता ....

मोबाइल नम्बर ....

दिनांक –

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर............................

नाम............................

पिता-माता का नाम............................

पूरा पता............................

मोबाइल नम्बर –

9–फार्म ख का प्रारूप निम्नवत् है–

नगरपालिका परिषद्, लखीमपुर

सम्पत्ति कर-स्वतः कर निर्धारण सूचना

प्रपत्र 'ख'

भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र में सूचना प्रदान करने के लिए

क–(1)–स्वामी/अध्यासी का नाम ....

(2)–स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम ....

(3)–भवन/मकान/भूखण्ड संख्या............................

(4)–मकान/भूखण्ड की अवस्थित का पता ....

(5)–स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता............................

(6)–स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता............................

Scanned by CamScanner

ख–उपर्युक्त भवन का निर्माण सम्बन्धी ब्यौरा–

(1) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) ....

(2) समस्त बालकनी, कारिडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) ....

(3) समस्त गैराज आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) ....

टिप्पणी–स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग–भवन का कारपेट एरिया–

ख (1) + 1/2ख (2) + 1/4ख (3)

घ–(1) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)..........

(2) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में)..........

ङ-भवन अवस्थित है–

[1] 1 फुट से 10 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[2] 10 फुट से अधिक 18 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[3] 18 फुट से अधिक 30 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[4] 30 फुट से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ख)–भवन के निर्माण की प्रकृति–

[1] पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत । ☐

[2] अन्य पक्का भवन आर0बी0 छत। ☐

[3] कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (1) और (2) से आच्छादित नहीं है। ☐

(ग)–भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है–

[1] 1 फुट से 10 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[2] 10 फुट से अधिक 18 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[3] 18 फुट से अधिक 30 फुट तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[4] 30 फुट से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

टिप्पणी–कृपया उपर्युक्त (1), (2) (3) या (4) के खाने में जो भी सही हो उनमें सही का निशान लगायें।

च–आवेदक भवन या भूमि का स्वामी/किरायेदार/अध्यासी है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी–यदि वह 1 वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह 1 वर्ष की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा।

छ–भवन के निर्माण का वर्ष ....

सत्यापन–मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि स्वमूल्यांकन प्रपत्र-'ख' में प्रस्तुत किया गया विवरण, मेरी जानकारी और विश्वास से सत्य है, इसमें कोई तथ्य छिपाया अथवा गलत दर्शाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर ....

स्थायी पता ....

मोबाइल नम्बर सहित..........

दिनांक –

अनुप्रमाणक साक्षी ....

हस्ताक्षर..........

नाम..........

पिता-माता का नाम..........

पूरा पता..........

मोबाइल नम्बर सहित

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र 'ख' प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है–

(1) स्वामी/अध्यासी किरायेदार का नाम..........

(2) स्वामी/अध्यासी/किरायेदार के पिता का नाम..........

(3) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या..........

(4) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता..........

(5) स्वामी/अध्यासी/किरायेदार का अस्थायी पता..........

(6) स्वामी/अध्यासी/किरायेदार का स्थायी पता..........

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

Scanned by CamScanner

10–प्रपत्र ख न जमा करने पर रु0 1,000.00 अर्थदण्ड देना होगा।

11–स्वाध्यासित भवनों के लिए छूट–

स्वाध्यासित की अवधि की गणना उसके कर-निर्धारण वर्ष से तथा उससे उल्लिखित मकानियत में निम्न प्रकार की छूट देय होगी।

(क) 10 वर्ष के पुराने स्वःअध्यासित आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

(ख) 10 वर्ष से 25 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

12–किराये उठे भवन–

(क) किराये पर उठे आवासीय भवन जो 10 वर्ष तक पुराने होंगे का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होगा।

(ख) 10 से 20 वर्ष तक के पुराने आवासीय भवनों के वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक होगा।

(ग) 20 वर्ष से अधिक पुराने किराये पर उठे भवनों के वार्षिक मूल्यांकन भवनों के निर्धारित वार्षिक किराया मूल्यांकन के समान होगा।

13–रेन्ट कन्ट्रोल के मकान–

रेन्ट कन्ट्रोल 1972 के अधिनियम के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगरपालिका परिषद, लखीमपुर प्रत्येक करों की गणना के लिए वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होगा बल्कि अब इसके किराये का निर्धारण उ0 प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानो के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी।

14–**छूट**–स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसे कोई भवन जो 30 वर्ग मीटर पर निर्मित किया हो उसका कारपेट एरिया 15 वर्गमीटर तक हो तथा उसके स्वामित्व में नगरपालिका परिषद् लखीमपुर में कोई अन्य भवन न हो, गृहकर से मुक्त हो।

15–**अधिभार**–नगरपालिका परिषद् लखीमपुर द्वारा निर्धारित तिथि तक कर न जमा करने पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह अधिभार दण्ड स्वरूप देय होगा।

16–प्रपत्र कब-कब भरना होगा–

(क) पहली बार स्वःकर निर्धारण के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से आगे।

(ख) जब कभी स्वामी द्वारा अध्यासित को किराये पर दिया गया हो पर किराये से वापस अपने अध्यासन में किया गया हो। इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र ख में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) जब किसी भवन के कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जाता हो, तो उसके लिए तीन माह के भीतर यथास्थिति भवन/भूमि स्वामी द्वारा अथवा अध्यासित द्वारा प्रपत्र ख में विवरण भरना अनिवार्य होगा।

(घ) गलत सूचना देने पर रु0 1,000.00 का आर्थिक दण्ड देय होगा।

(च) जिन भवन/भूमि स्वामियों/अध्यासियों द्वारा कर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा तो उनके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगरपालिका परिषद्, लखीमपुर द्वारा की जायेगी।

17–कारपेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायेगी–

(क) कमरे	आंतरिक आयाम की पूर्ण माप
(ख) आच्छादित बरामदा	आंतरिक आयाम की पूर्ण माप
(ग) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डारगृह	आंतरिक आयाम की 50 फीसदी माप
(घ) गैराज	आंतरिक आयाम की 50 फीसदी माप

(घ) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

18–अध्यासित का तात्पर्य यह है कि भवन/भूमि पर भवन स्वामी स्वयं काबिज है या निवास कर रहा है।

19–जिन भवनों/भूमि को नगरपालिका द्वारा भवन/भूमि की संख्या दी जा चुकी है। उन्हें भी प्रपत्र 'क' व 'ख' उपरोक्तानुसार भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उनके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो फार्म 'क' के अनुसार देय कर एवं पूर्व का बकाया कर भी जमा करें।

20–अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् लखीमपुर द्वारा वर्ष 2012-13 से नगरपालिका परिषद्, लखीमपुर सीमा में स्थित भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु अन्तिम रूप से किराया दरों का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये वार्षिक मूल्य भूमि की लागत+निर्माण मूल्य का 5 प्रतिशत या किराया मूल्य दोनों मे जो अधिक हो पर निर्धारित होगी।

Scanned by CamScanner

मूल निर्धारण सूची

क्र0सं0	वार्ड का नाम	वार्ड से सम्बन्धित मोहल्लों के नाम	1 से 10 फुट तक चौड़े मार्ग पर स्थित			10 फुट से अधिक 18 फुट तक चौड़े मार्ग पर स्थित			18 फुट से अधिक 30 फुट तक चौड़े मार्ग पर स्थित			30 फुट से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित		
			कच्चा भवन	अन्य पक्का भवन	आर0 सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	कच्चा भवन	अन्य पक्का भवन	आर0 सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	कच्चा भवन	अन्य पक्का भवन	आर0 सी0सी0 छत सहित पक्का भवन	कच्चा भवन	अन्य पक्का भवन	आर0 सी0सी0 छत सहित पक्का भवन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कमलापुर	कमलापुर, हरिजन बस्ती,	0.20	0.25	0.30	0.20	0.25	0.30	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30
		शिवकालोनी आंशिक	0.20	0.25	0.30	0.20	0.30	0.35	0.20	0.30	0.35	0.25	0.35	0.40
2	रामनगर	रामनगर, श्यामनगर, कंचनपुरी, सिद्धार्थ नगर	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.35	0.20	0.35	0.40	0.25	0.40	0.50
3	शिवपुरी	शिवपुरी	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.35	0.20	0.35	0.40	0.25	0.40	0.50
		बेगमबाग	0.20	0.25	0.30	0.20	0.25	0.30	0.20	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
4	हा0दु0 आश्राम	हाथीपुर दुर्बल आश्राम, निर्मलनगर, कृष्णानगर	0.20	0.25	0.30	0.20	0.25	0.30	0.20	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
5	अर्जुनपुरवा	अर्जुनपुरवा, महेन्द्रनगर, कोरियाना, दुर्गापुरम्, मौर्य कालोनी	0.20	0.25	0.30	0.20	0.25	0.30	0.20	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
6	राजगढ	राजगढ,	0.20	0.25	0.30	0.20	0.25	0.30	0.20	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
		अरविन्दनगर, मोतीनगर, जयदेवनगर	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.35	0.20	0.35	0.40	0.25	0.35	0.40
7	संकटादेवी	संकटा देवी, हरिजन बस्ती	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.35	0.20	0.35	0.40	0.25	0.35	0.40
8	गोटैय्याबाग	गोटैय्याबाग, इस्लामनगर	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.35	0.20	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
		त्रिपाठी कालोनी	0.20	0.25	0.30	0.25	0.35	0.40	0.25	0.35	0.40	0.25	0.40	0.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	बरखेरवा	बरखेरवा, सुन्दरपुरम, बल्देवनगर, श्रीरामनगर	0.20	0.30	0.35	0.20	0.40	0.50	0.25	0.50	0.60	0.35	0.80	1.00
		पंजाबी, कालोनी	0.20	0.30	0.35	0.30	0.50	0.60	0.35	0.80	1.00	0.40	1.00	1.20
10	कपूरथला	कपूरथला, शास्त्रीनगर, हशीबंगला	0.35	0.40	0.50	0.35	0.50	0.60	0.25	0.80	1.00	0.40	1.00	1.10
11	सिविललाइन	सिविल लाइन, शहपुरा कोठी, पुलिस लाइन कचेहरी	0.35	0.40	0.50	0.35	0.50	0.60	0.35	0.70	0.80	0.40	0.80	1.00
12	महराजनगर	महराजनगर, आवास विकास कालोनी	0.20	0.25	0.30	0.25	0.35	0.40	0.25	0.35	0.40	0.25	0.50	0.60
		महराजनगर मस्जिद के पूर्वख पशिचिम व दक्षिण दिशा में	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.35	0.20	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
13	थरवरनगंज	थरवरनगंज	0.20	0.30	0.35	0.25	0.35	0.40	0.25	0.40	0.50	0.30	0.60	0.80
14	गंगोत्रीनगर	हाल्टीन बंगला	0.20	0.30	0.35	0.25	0.35	0.40	0.25	0.50	0.60	0.30	0.40	0.80
		गंगोत्रीनगर, कीर्तिनगर, आफीसर कालोनी, जोडीबंगला	0.20	0.30	0.35	0.25	0.50	0.60	0.25	0.60	0.70	0.30	0.80	1.00
15	सिकटिहा	सिकटिहा, काशीनगर आफीसर कालोनी, आंशिक स्वरूपनगर, अर्जुननगर	0.35	0.40	0.50	0.35	0.50	0.60	0.35	0.70	0.80	0.40	0.80	1.00
16	प्यारेपुर	प्यारेपुर, नौरंगाबाद आंशिक	0.20	0.25	0.30	0.25	0.35	0.40	0.25	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
17	ईदगाह	इर्दगाह, बल्देव नगर, शिवकालोनी	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
		आंशिक, सरबती देवी कालोनी	0.20	0.25	0.30	0.20	0.30	0.35	0.20	0.30	0.35	0.25	0.35	0.40
18	भू०नाथ	भुंइफोरवानाथ, भरतपुरी, गोकुलपुरी, चण्डीपुरम्	0.20	0.25	0.30	0.20	0.30	0.35	0.20	0.30	0.35	0.25	0.35	0.40

स्था० नि० ले०--4

...अधिकारी का उत्तर :

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	हा० उत्तरी	हाथीपुर उत्तरी, निर्मलनगर अंशिक, इन्दिरा नगर	0.20	0.25	0.30	0.25	0.35	0.40	0.25	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
20	हा० कोठार	हाथीपुर कोठार, कटहलीबाग, हाथीपुर उत्तरी	0.20	0.25	0.30	0.20	0.30	0.35	0.20	0.30	0.35	0.25	0.35	0.40
21	नौरांगाबाद	नौरंगाबाद	0.20	0.25	0.30	0.25	0.35	0.40	0.25	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
22	शमशेरनगर	बाजपेई कालोनी, अतिया कालोनी	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.40	0.25	0.35	0.45	0.25	0.35	0.50
23	नई बस्ती	नईबस्ती गुडमण्डी, बांगलादेश	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.35	0.25	0.35	0.40	0.25	0.40	0.50
24	बहादुरनगर	बहादुरनगर	0.20	0.25	0.30	0.25	0.30	0.40	0.25	0.35	0.45	0.25	0.40	0.50
25	हिदायतनगर	हिदायतनगर, कुमारनगर	0.20	0.25	0.30	0.25	0.35	0.40	0.25	0.30	0.40	0.25	0.35	0.40
26	द्वारिकापुरी	द्वारिकापुरी, भटनागर कालोनी, टीचर्स कोलोनी शांतीनगर, अयोध्यापुरी	0.20	0.25	0.30	0.20	0.30	0.40	0.20	0.35	0.40	0.25	0.40	0.50
27	मिश्राना	मिश्राना, बाजार घासमण्डी	0.20	0.30	0.35	0.25	0.35	0.40	0.25	0.40	0.50	0.30	0.60	0.80

नोट—जो मोहल्ले/क्षेत्र कक्ष में दर्शाये गये है यदि कोई भवन/भूमि उन क्षेत्रों के अन्तर्गत नहीं है। ऐसी दशा में वह भवन/भूमि उसी कक्ष के समीपवर्ती मोहल्ले/क्षेत्र में माने जायेगें।

ह० (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद, लखीमपुर।

NOTICE

I, Rafey Abbasi S/o Riyazuddin Abbasi, R/o Village-Alawalpur, Mau-Aima, Allahabad have changed my name from Mohd. Rafey Abbasi to Rafey Abbasi. In future, I shall be known by my new name Rafey Abbasi only.

Dated : June 11, 2013.

RAFEY ABBASI.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि फर्म ओजल एरोसिएट्स, ओजल मॉल, जंक्शन रोड, मथुरा से जी०ए० शैल्टर्स प्रा० लि०, रतन गंज, भरतपुर गेट, मथुरा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2013 को अवकाश ग्रहण कर लिया गया है। अब इस फर्म से जी०ए० शैल्टर्स प्रा० लि०, मथुरा का किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं है। उपरोक्त फर्म में दिनांक 11 मार्च, 2013 से फर्म के तीनों पुराने भागीदार क्रमशः गिरधारी लाल अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल व श्रीमती शीतल अग्रवाल ही शेष रह गये हैं।

दिनांक : 29 अप्रैल, 2013 ई०।

गिरधारी लाल अग्रवाल,
भागीदार,
ओजल एरोसिएट्स,
ओजल मॉल, जंकशन रोड, मथुरा।

NOTICE

I, Shive Prakash SP, R/o 48-B, Gandhi Gram, P.O.-Harjinder Nagar, Kanpur-208007, have changed my name to Shiv Prakash Yadav. Now I may be known by this name for all future purposes.

Dated : June 11, 2013.

SHIV PRAKASH YADAV.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रिलाईबल बिल्डर्स, जिसका पता 128/140, एच-2, किदवई नगर, कानपुर है, उसको 10 जनवरी, 2013 से विघटित कर दिया गया है।

दिनांक : 29 अप्रैल, 2013 ई०।

साझेदार,
रवीन्द्र,
पुत्र कृपा शंकर,
128/937, डब्लू-1, साकेत नगर, कानपुर।

आत्मा राम खत्री,
पुत्र स्व० रतन चन्द्र खत्री,
7/84, तिलक नगर कानपुर।

पी०एस०यू०पी०—11 हिन्दी गजट—भाग 8—2013 ई०।
मुद्रक और प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Scanned by CamScanner